रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 399] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 1985/श्रावण 29, 1907
No. 399] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 1985/SRAVANA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

अधिसूचना

सं. 271/85—सीमा-शुल्क

का. आ. 613(अ).— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 54 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव गौहाटी रेल स्टेशन

पर स्थित नव गोहाटी माल गोदाम को उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करता है ।

[फा. सं. 434/1/83-सी यू एस 4(पीटी)]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Excise and Customs)

New Delhi, the 20th August, 1985

NOTIFICATION

No 271/85-CUSTOMS

S.O. 613(E) —In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 54 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby specifies the New Gauhati Goods Shed at New Gauhati Railway Station for the purposes of the said clause.

[F. No. 434/1/83-CUS. IV(Pt.)]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054, 1985